

राजस्थान सरकार
सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग

एफ.2(1441) डी.ओ.आई. टी./संस्था /13/Part II/13658/2013

जयपुर दिनांक 25.11.2013

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है की राज्य कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के निम्नलिखित सूचना सहायकों को निम्नलिखित शैक्षणिक परीक्षाओं में सम्मिलित होने की स्थिति में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है :-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापित विभाग का नाम	शिक्षण संस्था/यूनिवर्सिटी का नाम	परीक्षा का नाम	अध्ययन का प्रकार
1	सर्वश्री दीपक शर्मा	जिला परिवहन कार्यालय, विधाधर नगर	Panjab Technical University, Punjab	MSc (IT) IVth Semester	पत्राचार
2	इरफान अहमद कुरैशी	कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर (उत्तर)	Indira Gandhi National Open University	MCA 3rd Year	पत्राचार
3	गणेश नारायण मीणा	कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अलवर	Jaipur National University, Jaipur	MCA II Year	पत्राचार
4	महेश कुमार ओझा	जिला उद्योग केन्द्र, जैसलमेर	IASE University, Sardarshar, Churu	MCA	पत्राचार
5	सुर्यपाल सिंह तवरं	कार्यालय राजकीय अजीत अस्पताल खेतड़ी, झुन्झुनू(राज.)	Chirawa College Chirawa, Jhunjhunu	BA 2nd year	स्वयंपाठी
6	कमल कुमार महावर	कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, टोंक	Jaipur National University, Jaipur	MCA Final year	पत्राचार
7	कन्हैया लाल महावर	कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, टोंक	Jaipur National University, Jaipur	MCA Final year	पत्राचार
8	चन्दन सिंह	कार्यालय जिला कलक्टर (ई-गवर्नेंस) बाड़मेर	Jaipur National University, Jaipur	MCA 2nd year	पत्राचार
9	रमेश कुमार	कार्यालय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोर्डिया, जोधपुर	Indira Gandhi National Open University	MCA 3rd Semester	पत्राचार
10	शंकर लाल जीनगर	कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी पावटा, जोधपुर	Sikkim Manipal University	BCA 5th Semester	पत्राचार
11	हिम्मताराम	कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय चिकित्सालय, बारा	Institution of Engineers India, kolkata	AMIE	पत्राचार
12	अखिलेश सोनी	कार्यालय प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झुन्झुनूं	Indira Gandhi National Open University	MCA 6th Semester	पत्राचार
13	प्रदीप कुमार	कार्यालय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ताजसर	Rajasthan University, Jaipur	MA	स्वयंपाठी
14	हनुमान खेटोड़	कार्यालय चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुरनाणा	Singhania University	MSc Physic & Phd CS	पत्राचार
15	सुश्री राजश्री रामावत	कार्यालय ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर	Maharaja Gangasingh University	MSC Cs Final Year	स्वयंपाठी
16	सुश्री शालिनी गुप्ता	कार्यालय चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, लक्ष्मणगढ़ (अलवर)	Banasthali Vidyapith	M tech	स्वयंपाठी
17	सुश्री स्वाति खुराना	कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी, भिवाड़ी (अलवर)	Indira Gandhi National Open University	MBA	स्वयंपाठी

	सुश्री अनिता धाकड़.	कार्यालय प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जयपुर (उत्तर)	Indira Gandhi National Open University	MCA 2nd Year	पत्राचार
19	सुश्री नेहा खण्डेलवाल	आर.एम.एस.सी. जयपुर	Indira Gandhi National Open University	MCA	पत्राचार
20	सुश्री नीतू सोनी	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर	Jaipur National University, Jaipur	MCA	पत्राचार

उक्त शैक्षणिक परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति उक्त कर्मचारियों को निर्देशानुसार निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:—

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जायेगी।
2. कर्मचारी का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तन/ स्थानान्तरित हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जायेगी।
3. कर्मचारी को प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में उत्तीर्ण की गयी परीक्षा की सत्यापित अंकतालिका परीक्षा परिणाम घोषित होने के 30 दिवस में उचित माध्यम से इस विभाग को प्रेषित करनी होगी।
4. परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
5. अध्ययन स्वीकृत दिये जाने से कर्मचारी को किसी स्थान विशेष पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है।
6. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
7. अध्ययन वर्ष में कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
8. प्रशासनिक कारणों वश अध्ययन परीक्षा हेतु स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
9. परीक्षा के दिवसों में लिये गये अवकाश नियमानुसार जिस श्रेणी में आवेदित किये गये हों, के अनुसार उचित स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाने का सम्पूर्ण जिम्मा सम्बन्धित विभाग का होगा।

— sd —
(सीताराम स्वरूप)
प्रभारी अधिकारी (संस्थापन-एन.जी.)

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. संबंधित विभागाध्यक्ष।
2. संबंधित कर्मचारी।
3. संबंधित निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

— sd —
(सीताराम स्वरूप)
प्रभारी अधिकारी (संस्थापन-एन.जी.)